राजस्थान सरकार
उपनिवेशन विभाग

क्रमांक प. 4(12)उप/99 जयपुर, दिनांक 24/7/15

अधिसूचना

राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं0 27) की धारा 2(1)क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार निम्नलिखित उपखण्ड अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित अपने क्षेत्राधिकार के भीतर राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 के अन्तर्गत शर्त सं0 9 के उपशर्त सं0 (1) में प्रदत्त कलेक्टर के कृत्यों का पालन एंव शक्तियों का प्रयोग करने हेतु एतदद्वारा नियुक्त करती है:–

क.सं.	नाम परियोजना	नाम उपखण्ड अधिकारी	क्षेत्राधिकारी तहसील का नाम
1	माही परियोजना	उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
2		उपखण्ड अधिकारी, घाटोल	घाटोल, गनोड़ा
3		उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी	गढ़ी
4		उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा	बागीदौरा

राज्यपाल के आदेश से,

-Sd-
(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व एंव उपनिवेशन विभाग।
3. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
5. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
6. जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 19.6.15 के कम में भेजकर लेख है कि इसकी प्रति सभी संबंधित को भिजवाकर निर्देश प्रदान करें कि इस पत्र की प्राप्ति की सूचना आपके कार्यालय को भिजवाकर प्रति शासन को भी आवश्यक रूप से भिजवायें।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव